उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-106/2017/726/92-2-17-101जॉच/2016

लखनऊ:: दिनांक 11 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर में अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय उ0प्र0 शासन के आदेशों के अनुरूप उ0प्र0 सरकार के महत्वपूर्ण योजना के कार्यो को समयान्तर्गत पूर्ण न कराने, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भवन निर्माण कार्य की त्रुटिपूर्ण प्रगति सूचना उपलब्ध कराने तथा प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य की प्रगति अत्यन्त मन्द पाये जाने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-54/2016/1503/ 92-2-16-101जांच/2016, दिनांक 01-09-2016 द्वारा श्री ए0के0 सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती के पत्र दिनांक 25-04-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित 01 आरोप स्थापित नही पाया गया। परन्तु शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त जनपद बलरामपुर के 03 राजकीय उच्चीकृत माध्यमिक विद्यालय भवन, रामगढ मैटहवा, छपिया सुखरामपुर एवं शिवपुर महन्त के निर्माण कार्यो की प्रगति मन्द पाये जाने तथा प्रगति रिपोर्ट गलत प्रस्तुत करने हेतु अपचारी अधिकारी को उत्तरदायी पाया गया। अत: श्री ए0के0 सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर को उक्त अनियमितता के लिए उन्हें निम्नवत "**परिनिन्दा**" का दण्ड देते हुये उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.09.2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर में अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय उ0प्र0 शासन के आदेशों के अनुरूप उ0प्र0 सरकार के महत्वपूर्ण योजना के कार्यो को समयान्तर्गत पूर्ण न कराने, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भवन निर्माण कार्य की त्रुटिपूर्ण प्रगति सूचना उपलब्ध कराने तथा प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य की प्रगति अत्यन्त मन्द पाये जाने के कारण श्री ए0के0 सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर को वर्ष 2016-17 के लिये **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 106/2017/726(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री ए0के0 सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को श्री ए0के0 सक्सेना, अधिशासी अभियंता की चरित्र पंजिका में चस्पा करने हेतु।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।